

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

क्रमांक :- एफ.2(535) / डी.ओ.आई. टी. / संस्था /

जयपुर, दिनांक :

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्रीमती आशिफा खान, सूचना सहायक, जिला कार्यालय, सू. प्रौ. और संचार विभाग, भीलवाडा को जयपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जयपुर से एम.सी.ए. तृतीय वर्ष की परीक्षा में बैठने की अनुमति चाही गई है। उक्त हेतु श्रीमती आशिफा खान, सूचना सहायक को अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:-

1. अधिकारी/कर्मचारी को परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
2. अध्ययन स्वीकृति/परीक्षा की अनुमति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
3. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
4. प्रशासनिक कारणवश स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
5. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।



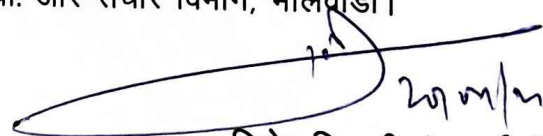
(विवेक कुमार)

विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.)

एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराज.)

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, जिला कार्यालय, सू. प्रौ. और संचार विभाग, भीलवाडा।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाईट, सू. प्रौ. और संचार विभाग, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. श्रीमती आशिफा खान, सूचना सहायक, कार्यालय सू. प्रौ. और संचार विभाग, भीलवाडा।
4. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.)

एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराज.)



राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

क्रमांक :- एफ.2(5372) / डी.ओ.आई. टी. / संस्था / 1

जयपुर, दिनांक :

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री ईशान्त रावत, सूचना सहायक, कार्यालय निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, पीपल्स, कोटा द्वारा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा से एम.एस.सी(कम्प्यूटर विज्ञान) सत्र 2021-22 पाठ्यक्रम में अध्ययन हेतु पत्राचार माध्यम से प्रवेश की अनुमति चाही गई है। उक्त हेतु श्री ईशान्त रावत, सूचना सहायक को अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
8. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
9. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के संबंध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


20/11/21

(विवेक कुमार)
विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.)
एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराज.)

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, कार्यालय निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, पीपल्स, कोटा है।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. श्री ईशान्त रावत, सूचना सहायक, कार्यालय निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, पीपल्स, कोटा।
4. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


विशेषाधिकारी (यू.आई.डी.)
एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराज.)